शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 82/**2017/2286/33-3-2017/178/2016** टी**0**सी**0**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में**,**

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2017**

विषय- दिनांक **01** अक्टूबर**, 2017** से **15** अक्टूबर**, 2017** तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन के सम्बंध में।

महोदय**,**

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-80/2017/2171/33-3-2017/178/2016 टी.सी., दिनांक 14 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 15 अक्टूबर, 2017 के मध्य ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए स्वच्छता (जल संरक्षण/संचयन, शौचालय का उपयोग, सालिड एवं लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेन्ट, नॉन-बायोडीग्रेडेबिल वेस्ट आदि), स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह एवं सघन जन सूचना प्रणाली के उपयोग को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश निर्गत किये गये।

उक्त के क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्वशा. पत्र सं.-जे.-11011/89/2016-मीडिया, दिनांक-4 सितम्बर, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा, 01 अक्टूबर, 2017 से 15, अक्टूबर, 2017 के मध्य ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन, सफाई अभियान एवं अभियान संचालन की दैनिक प्रगति के अनुश्रवण के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियों/विषयों पर भी अनिवार्य रूप से कार्य किया जाना है:-

1. दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को ग्राम सभा की विशेष ग्राम सभा के आयोजन करते हुए विभाग द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2017 से निर्गत आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

2. ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायतों द्वारा अपने "ग्राम की परिकल्पना" की दिशा में कार्य किया जाएगा एवं सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में किसी लक्ष्य जैसे-शत् प्रतिशत टीकाकरण युक्त ग्राम पंचायत, खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत, बेरोजगारी मुक्त ग्राम पंचायत, मुकदमेबाजी मुक्त पंचायत, वृद्धावस्था/निराश्रित अथवा बालिका सहयोगी ग्राम पंचायत, सभी के लिए शिक्षा, सुरक्षित प्रसव, डिजिटल ग्राम पंचायत,

http://shasnadeshup.nic.in

पलायन मुक्त ग्राम पंचायत अथवा कोई भी ऐसी विषय-वस्तु जिस पर ग्राम पंचायत काम करना चाहती हो, को लेकर कार्य करने एवं उसे अगले तीन वर्षों में प्राप्त करने की दिशा में सबके साथ मिलकर प्रयास किया जाएगा ताकि सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक उत्थान से नवीन समाज का निर्माण हो सके।

3. ग्राम सभा की बैठक के आयोजन के दिन पंचायत द्वारा वर्ष में किसी एक दिन को "पंचायत दिवस" के रूप में मनाये जाने की घोषणा की जानी है। यह प्रक्रिया प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाई जाए। ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत के किसी भी अविस्मरणीय दिवस यथा-शहीद/महापुरूष अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, पारम्परिक घटना/ क्षेत्रीय महत्व के अवसर को, ग्राम पंचायत को प्राप्त पुरस्कार/ प्रोत्साहन की तिथि को, किसी व्यक्ति विशेषकर बालिका की उपलब्धि पर या अन्य किसी उपलब्धि अथवा दिवस को जिससे ग्राम पंचायत अपनी पहचान को जोड़ पाती है, के दिन को पंचायत दिवस के रूप में मना सकती है। इस दिन ग्राम पंचायत में सांस्कृति कार्यक्रम, प्रतियोगितायें, अच्छी सामाजिक विचार वाली फिल्मों का प्रदर्शन एवं स्वयं की प्रगति पर आत्मचिन्तन करते हुए ग्राम सभा में समुदाय के मध्य रख सकती है, ताकि सब मिलकर ग्राम पंचायत की परिकल्पना को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर आगे बढ़ सकें।

4. इस अवधि में ग्राम पंचायत का एक सर्वेक्षण कराया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत की बैठकों, समितियों का विवरण, ग्राम सभा की बैठकों, आय-व्यय, स्वयं की आयवृद्वि, ग्राम पंचायत विकास योजना, लेखा व ऑडिट, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत की उपलब्धियों का विवरण भरा जाना है। सर्वेक्षण प्रत्येक ग्राम पंचायत में पृथक-पृथक प्रारूप-2 पर उपलब्ध संलग्नक के अनुसार भरा जाएगा। जिसको जनपद स्तर पर संकलित कर निदेशालय को दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 तक उपलब्ध कराया जाना है।

अत: उक्त के सम्बंध में आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करते हुए ग्राम समृद्वि एवं स्वच्छता पखवाड़ा का सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित प्रगति को योजना विशेष के लिए विकसित ई-मेल impevent.up@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

http://shasnadeshup.nic.in

3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ.प्र.।

8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

दिनाँक	कार्यकलाप	संसाधन व्यक्ति
28 से **30** सितम्बर	ग्राम पंचायतों में पखवाड़े की तैयारी, ग्राम पंचायत भवनों में जागरूकता एवं पर्यावरण निर्माण, आईईसी सामग्री का प्रदर्शन, लाभार्थी की जानकारी	ग्राम पंचायत सचिव/जीआरएस/ सीआरपी
01 अक्टूबर**,** **2017**	1. अभियान के बारे में सामान्य जानकारी। 2. स्वच्छता अभियान के बारे में सामान्य जानकारी।	ग्राम पंचायत सचिव/जीआरएस/ सीआरपी
02 अक्टूबर**,** **2017**	1. सुबह के समय प्रभात फेरी (विद्यालय शिक्षा विभाग के समन्वय में विद्यालय के बच्चों को शामिल करते हुए)। 2. उपर्युक्त के साथ-साथ बाल सभाओं का आयोजन 3. ग्राम सभा (क) पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष की पहली छमाही में किये गये सभी कार्यों का प्रस्तुतीकरण। (ख) जीपीडीपी समीक्षा। (ग) मिशन अंत्योदय के तहत बेसलाइन रैंक के बारे में ग्राम पंचायतों को सूचित करना। 4. ग्राम पंचायत परिषद की बैठकें। 5. निम्नलिखित के लिए प्रारूप तैयार करना: (क) स्वच्छ हरित गाँव (ख) ग्राम समृद्धि 6. शाम को फिल्म शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक आदि।	ग्राम पंचायत सचिव/जीआरएस/ सीआरपी/विद्यालय
03 से **05** अक्टूबर**,** **2017**	स्वच्छता अभियान - स्वच्छ हरित गाँव : ग्राम स्वच्छता अभियान, सड़क के किनारों, सार्वजनिक स्थानों से कूड़े कचरे की सफाई, नालियों की सफाई करना। आंतरिक ग्राम सड़कों की सफाई, मरम्मत/रखरखाव करना। राज्य स्वच्छता के संबंध में राज्य/जिला विशेष पहले शुरू करें। डब्लू ए.एस.एच. विद्यालयों में एमडीएम व्यवस्थाओं का निरीक्षण। एमडीएम व्यवस्था करते हुए एसएमसी और एसएचजी की बैठकों का आयोजन करना। विद्यालयों की सफाई/विद्यालयों में वृक्षारोपण करना। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि :	ग्राम पंचायत सचिव/जीआएस/सीआरपी/एएनएम/आशा/आईसीडीएस कार्यकर्ता एसएच सदस्यों और सीआरपी को सक्रिय

http://shasnadeshup.nic.in

	आईसीडीएस केन्द्रों पर बच्चों का वजन करना। विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करना। आईसीडीएस केन्द्रों, विद्यालयों आदि में कुपोषण संबंधी जानकारी देना। महिला स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाना। एफएनएच डब्ल्यू के साथ-साथ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। उपर्युक्त कार्यकलापों का समन्वयन जीएचजी/एएनएम/ आशा/आईसीडीएस कार्यकर्ताओं की सहायता से किया जायेगा।	रूप से शामिल किया जाए।
06 से **09** अक्टूबर, **2017**	कृषि सभाएँ : उत्पादकता और दूसरे आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए तालमेल के महत्व को स्पष्ट करते हुए ग्राम पंचायतें के वी के और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की सहायता से कृषि सभाओं का आयोजन करें। प्रस्तावित कार्यकलापों की सूची : कृषि और बीजों की उन्नत किस्मों की आधुनिकतम तकनीकों के संबंध में जागरूकता। तालमेल के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोतों के रूप में डेयरी, मुर्गीपालन, मछलीपालन को बढ़ावा देना। विशेष महिला सभा/एसएचजी सदस्यों की बैठकों का आयोजन। स्वच्छता अभियान के भाग के रूप में वर्मी कम्पोस्ट गड्ढे खोदे जाएँ। गाँव के लिए सूक्ष्म जमा योजना पर विचार-विमर्श करना। मूल्य श्रृंखला विकास करना। उत्पादक कंपनियों का गठन करना।	ग्राम पंचायत सचिव/जीआरएस/ सीआरपी कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि/बागवानी/पशुपालन/ मत्स्यपालन विस्तार कार्यकर्ता सीआरपी और एसएचजी
10 अक्टूबर **2017**	कार्यान्वयन के बारे में जीपीडीपी ब्योरे की समीक्षा और विचार-विमर्श। एफएफसी/एसएफसी और अन्य सरकारी निधियों से संसाधनों का अनुमान/किए गए कार्यों के ब्यौरे को सार्वजनिक करना।	पंचायत सचिव
11 अक्टूबर, **2017**	मनरेगा कार्य योजना तैयार करना। एसएलडब्ल्यूएम पर विशेष ध्यान देना। जल संरक्षण पर जोर देने के लिए कार्य योजना तैयार कराना।	पंचायत सचिव/जीआरएम
12	पीएमएवाई- जी संबधी लाभार्थियों की सूची को पढ़ा जाना।	ग्राम पंचायत

http://shasnadeshup.nic.in

अक्टूबर, **2017**	पीएमएवाई-जी: भूमि पूजन और उद्घाटन करना विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तिगत हकदारी क. वृद्धावस्था/अन्य पेंशन, छात्रवृत्ति, खाद्य संवितरण, एलपीजी, सौर प्रकाश के लिए सत्यापन करना। ख. शेष बचे लाभार्थियों का निर्धारण करना। ग. क्या भुगतान समय पर किए जाते हैं ? इस संबंध में लाभार्थियों का सत्यपान करना।	सचिव/जीआरएस
13 से **14** अक्टूबर, **2017**	कौशल विकास क. युवाओं का पंजीकरण और एकजुटता शिविर लगाना। ख. अभ्यर्थियों को पीआईए/नियोक्ताओं से जोड़ना।	ग्राम पंचायत सचिव/जीआरएस/ सीआरपी/एसएचजी
15 अक्टूबर, **2017**	की गई कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) पर प्रस्तुतीकरण। जहां भी लागू हो जीपी रैंक साझा करना।	ग्राम पंचायत सचिव

http://shasnadeshup.nic.in